आकाशवाणी गोरखपुर
प्रादेशिक समाचार

दिनांक–02 सितम्बर 2025 **7:20 AM**

पहले मुख्य समाचार।

- शंघाई सहयोग संगठन–एससीओ शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में की गई निंदा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का किया आह्वान।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम अठारह सौ साठ की जगह प्रदेश में नया कानून लागू करने की आवश्यकता पर दिया बल। कहा–व्यावहारिकता का ध्यान रखते हुए युगानुकूल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम लागू किया जाए।
- केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम ई–विद्या मोबाइल एप्लिकेशन–दीक्षा के दूसरे चरण सहित कई पहलों की शुरुआत की। बारह भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की सुविधा प्रदान करता है दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बांदा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। चिकित्सकों की कमी को शीघ्र पूरा करने पर दिया जोर।

****

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन–एससीओ देशों से आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया है। चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में कल उन्होंने सदस्य देशों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराने को कहा।

भारत पिछले चार दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में, हमने पहलगाम में टेरेरिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दु:ख की घड़ी में, जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की।

सदस्य देशों ने एक स्वर में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की, पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की, और इस जघन्य कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। घोषणा पत्र में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करते हुए, सीमा पार आतंकियों की आवाजाही को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, तियानजिन।

****

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, अट्ठारह सौ साठ के स्थान पर प्रदेश में नया कानून लागू किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के रूप में पंजीकृत संस्थाओं के पंजीकरण, नवीनीकरण तथा उनकी संपत्तियों के पारदर्शी प्रबन्धन को सुदृढ़ करने के लिए युगानुकूल और व्यावहारिक प्राविधान किए जाने चाहिए।

कल लखनऊ स्थित अपने आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान अधिनियम में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने, सम्पत्ति के सुरक्षित प्रबन्धन, सदस्यता, प्रबन्धन और चुनाव सम्बन्धी विवादों के समयबद्ध निस्तारण के स्पष्ट प्राविधानों का अभाव है। ऐसे में आवश्यक है कि व्यावहारिकता का ध्यान रखते हुए युगानुकूल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम लागू किया जाए। एक रिपोर्ट–

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधनियम में ऐसे प्राविधान किए जाने चाहिए, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सदस्य हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ट्रस्ट हो या सोसाइटी, कुछ लोगों की कुत्सित मानसिकता के चलते संस्थाओं की सम्पत्तियों की मनमानी बिक्री रोकने के लिए ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए।

विवाद की स्थिति में प्रशासक नियुक्त किये जाने को अनुपयुक्त बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी संस्था कैसे संचालित होगी, यह प्रबन्ध समिति ही तय करे। सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन की ओर से संस्थाओं के आन्तरिक कामकाज में न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में लगभग आठ लाख से अधिक संस्थाएं पंजीकृत हैं, जिनकी गतिविधियां शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता, ग्रामीण विकास, उद्योग, खेल आदि अनेक क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए उनके संचालन, सदस्यता, चुनाव और वित्तीय अनुशासन से जुड़ी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। समाचार कक्ष से अरुण।

****

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर बीमारियों से ग्रसित बंदियों की समय से पूर्व रिहाई के लिये नियमों को सरल और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कारागार प्रशासन और सुधार सेवाओं की कल हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि असाध्य रोगों से ग्रसित और वृद्ध बंदियों के मामले में संवेदनशील निर्णय लिये जाने चाहिये।एक रिपोर्ट–

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र बंदियों की रिहाई स्वतः विचाराधीन होनी चाहिये और इसके लिये उन्हें अलग से आवेदन न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल मैनुअल को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए यह ध्यान रखा जाये कि समाज की

सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिये समयपूर्व रिहाई उन्हीं मामलों में की जानी चाहिये, जहां सामाजिक जोखिम न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि हत्या, आंतकवाद, देशद्रोह तथा महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध जघन्य अपराध जैसे मामलों में रिहाई कतई नहीं की जानी चाहिये। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।

****

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा प्रणाली में डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में पीएम ई–विद्या मोबाइल एप्लिकेशन, दीक्षा के दूसरे चरण सहित कई पहलों की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म बारह भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की सुविधा प्रदान करता है।

भारत की पूंजी है, भारत की विभिन्न भाषा, पढ़ाई मातृभाषा में हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख परामर्श है, रिकमेंडेशन है, एनसीईआरटी उसी को ध्यान में रखते हुए बहुभाषी पढ़ाई को महत्व देना इस काम पर लगी है।

****

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सभागार में प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बांदा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी को शीघ्र पूरा किया जायेगा।

हर दृष्टि से बांदा नंबर एक पर आये। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जो भी कमियाँ यहाँ है उनको शीघ्र ऐसी शीघ्र दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। जो चिकित्सकों के पद खाली है। सीएमओ और जिलाधिकारी महोदय को अधिकार दिया गया है की वॉक इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल उन्हें भर्ती करे। जो मेडिकल कॉलेज में आवश्यकता है वो प्राचार्य महोदय से कहा गया।

****

सर्वोच्च न्यायालय ने पेट्रोल में बीस प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के देशव्यापी कार्यान्वयन को चुनौती देने वली जनहित याचिका कल खारिज कर दी। याचिका में लाखों वाहन मालिकों को उनके वाहनों के लिए डिजाइन नहीं किए गए ईंधन का उपयोग करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिका में दिए गए तर्कों को खारिज कर दिया। इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सभी ईंधन स्टेशनों पर एथेनॉल–मुक्त पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बीस प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित ईंधन, गन्ना किसानों के लिए लाभदायक है।

****

प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के कई जिलों में रूक–रूक कर बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश की वजह से रायबरेली, मुजफ्फरनगर, एटा सहित कुछ जिलों में आज भी कक्षा एक से बारह तक के सभी स्कूल बन्द कर दिये गये हैं। पीलीभीत, बदायूं, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, अमरोहा, शामली, शाहजहांपुर सहित कई जनपदों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हैं, वहीं कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। मथुरा में यमुना और बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जतायी है।

****

प्रदेश की पहली महिला हैंडबॉल खिलाड़ी नैना यादव का कल वाराणसी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। नैना ने दो एशियाई हैंडबॉल चौंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। बाबतपुर हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए प्रशंसकों, स्थानीय खेल प्रेमियों और परिवारजनों की भारी भीड़ उमड़ी। फूल–मालाओं और उत्साहपूर्ण नारों के साथ नैना का अभिनंदन किया गया।

****